न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 144/2016 **दायरा दिनांक : 08.08.2016**

उनवान

दुलीचन्द आत्मज जयकिशन, आयु 40 साल, जाति अहीर, निवासी खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– पूरी बाई पुत्री गंगाराम, जाति अहीर, निवासी खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– विमला बाई पुत्री गंगाराम, जाति अहीर, निवासी खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– गोरधन आत्मज गंगाराम, जाति अहीर, निवासी खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.07.2021**

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 124/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद पत्र अपीलांट के विरूद्ध पेश किया जिसमें अपीलांट ने केवल आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया, कोई जवाबदावा नहीं दिया गया, तनकी नहीं बनाई गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ट्रेसपासर भी मान लिया व साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित कर दी व बेदखली का आदेश भी दे दिया, जबकि प्रतिवादी के पास यह आराजी दिनांक 13.05.2011 से विधिवत कब्जे काश्त में चली आ रही है जो रेस्पोडेंट गोरधन ने अन्य खातेदारान के ज्ञान व सहमति से कब्जा संभलाया था जो कब्जा आज भी अपीलांट का है । इस वादग्रस्त आराजी के बाबत माननीय अपर जिला जज महोदय भवानीमण्डी के यहां पर भी प्रकरण विचाराधीन है । इन सब की जानकारी होते हुए भी अपीलांट को बेदखल करने की डिक्री प्रदान कर दी जबकि स्वयं आलौच्य निर्णय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के संभावित निर्णय को रेस्पोडेंट गोरधन की हद तक प्रभावी माना जबकि तथ्य यह है कि अपीलांट का कब्जा 8 बीघा 14 बिस्वा पर गोरधन के द्वारा रहन रखी गई व रहननामा लिखा गया उसी भूमि पर ही है, जिसमें रेस्पोडेंट गोरधन ने स्वयं को आराजी का स्वामी व अधिकारी बताते हुए अपीलांट से 165000/– रूपये प्राप्त किया व आराजी का कब्जा संभलाया । इन तथ्यों की पूरी जानकारी प्रारम्भ से ही अन्य रेस्पोडेंट को भी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के सहमति पूर्ण कब्जे को अतिक्रमण मानकर भूल की है तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य भी नहीं ली ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

जवाबदावा भी पेश नहीं हो सका, तनकी नहीं बनायी, नियमानुसार साक्ष्य नहीं ली गई व तथाकथित मजमा–ऐ–आम के कहने से बेदखली का आदेश देकर अवैधानिक कार्यवाही की है, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून तथ्यों व पत्र संग्रहसार के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त सन् 2011 से आज तक निरन्तर चला आ रहा है, इस कारण से उसे ट्रेसपासर नहीं माना जा सकता । निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दूषित है । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व जाप्ता दीवानी के प्रावधानों की खुली अवहेलना है । लोक अदालत की भावाना का तिरस्कार है एवं निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2016 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट पूरीबाई ने दूलीचन्द के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा किया था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 04.05.2016 को जवाबदावा हेतु नियत थी । दिनांक 04.05.2016 को पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दिनांक 23.05.2016 को राजस्व लोक अदालत में पेश हो । राजस्व लोक अदालत कैम्प में पक्षकारान उपस्थित । पक्षकारान के मध्य आपसी समझाइश नहीं हुई एवं पत्रावली व सलंग्न रेकार्ड के आधार पर फैसला लोक अदालत की भावना से नहीं किया । वादग्रस्त आराजी 8 बीघा 14

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बिस्वा पर ट्रेसपासर की हैसियत से काबिज नहीं है। दिनांक 13.05.2011 को 1,65000/– में क्रय की जो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज था । इसका न्यायालय ए डी जे भवानीमण्डी में दावा जैरकार है । जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर मिलना चाहिए । प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया । प्रतिवादी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर काबिज है । अपीलांट को जवाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे । अतः अपील रिमाण्ड की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में 2017 (2) आर आर टी पेज 1323 एवं आर आर डी 1996 पेज 350 (बी) उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय राजस्व लोक अदालत में श्री धनपुर में वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में पारित किया । लेकिन निर्णय में यह उल्लेख किया है कि पक्षकारान राजस्व लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझाइश से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु समझाइश की गई, किन्तु पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश नहीं हुई । प्रकरण में जब राजीनामा ही नहीं हुआ तो प्रकरण लोक अदालत की भावना से निस्तारित होना नहीं पाया गया । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर सी पी सी

(महिन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा